"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई 2003—श्रावण 7, शक 1925

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2003

क्रमांक 8446/वि. स./विधान/2003.—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 23 सन् 2003) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

संतोष कुमार खरे
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 है.

(दो) यह दिनांक 12 मई, 2003 से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र. 5 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 5 में,-

(एक) उप-धारा (5) के खण्ड (क) में अंक ''5000'' के स्थान पर अंक ''100000'' तथा शब्द ''पचास हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो लाख रुपये'' प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (5) के खण्ड (ख) में अंक ''20000'' के स्थान पर अंक ''100000'' तथा शब्द ''पचास हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो लाख रुपये'' प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) उप-धारा (5) के खण्ड (ग) में शब्द ''दो लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच लाख रुपये'' प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 9-ख का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9-ख में,-

(एक) उप-धारा (1) में शब्द ''पचास लाख'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''पच्चीस लाख'' प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (1) में अंक ''8%'' के स्थान पर अंक ''4%'' प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) उप-धारा (1) के खण्ड (एक) में शब्द ''घोषित मालों'' के स्थान पर शब्द ''केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र. 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (एक) तथा (छः-क) में यथा-विनिर्दिष्ट अनाज एवं दालें'' प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 13 का अंतःस्थापन.

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में उप-धारा (1) के खण्ड (क) में शब्द ''अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट माल'' के पश्चात् शब्द ''काष्ठ को छोड़कर'' अन्तःस्थापित किया जाए.

धारा 26 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 26 में,-

उप-धारा (4) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ग) में अंक ''2'' के स्थान पर अंक ''1.25'' प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 45-क का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 45-क में,-

(एक) उप-धारा (10) में शब्द ''दस'' के स्थान पर शब्द ''पांच'' प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (12) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाए-

''परन्तु शास्ति की रकम कर की उस राशि के तीन गुने से कम नहीं होगी जो कि यदि माल अभिग्रहण के दिनांक को राज्य के भीतर बेचा गया होता, तो देय होती.''

7. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्र. 3 सन् 2003) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा के बजट सत्र में दिनांक 26 मार्च, 2003 को माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा दिये गये अभिभाषण में अंतर्निष्ट प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 में यथोचित संशोधन किया जाना आवश्यक था.

2. चूंकि, विधान सभा सत्र चालू नहीं था एवं कराधान प्रस्तावों को तुरंत लागू किया जाना आवश्यक था, अतः छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्र. 3 सन् 2003) जारी किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पुरःस्थापित किया जाना है.

3. अतएव, विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
तारीख 25 जुलाई, 2003

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.